उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-98/2017।/आर-1615/26-3-2017-23(रिट)/2011 टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 21 जून 2017

कार्यालय ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-85/2016/आर-1214/26-3-2016-रिट(23)/2011, दिनांक-27.04.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016" पर सम्यक्विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम जोड़ते हुये सुसंगत नियमावली का (षष्टम संशोधन)-2017 निम्नवत् किया जाता हैः-

वर्तमान नियम	नियम में संशोधन
1	2
-	नियम-5(ङ)तकनीकी प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिनकी फीस, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति निर्धारित नहीं करती है उन पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के समकक्ष पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
नियम-6(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेंड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क-विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख-निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग-ट्रेनिंगशिप डफरिन(अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। घ-सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यकम। च-अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम। छ-पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम।	नियम-6(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेंड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क-विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख-निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग- ट्रेनिंगशिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। घ- सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यकम। च-अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम। छ-पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। ज-निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग बाडी/सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम जो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते।
	नियम-6-(xvii) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे उपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को भुगतानित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी।
नियम-9(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रदेश के बाहर के निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति अपने आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रेषित करनी अनिवार्य	नियम-9(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर के समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेगें एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेगें। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोडकर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होगें। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगी। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेगें एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेगें। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यकमों(सी0पी0एल0 पाठ्यकम एवं संस्थान को छोडकर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होगें। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा हटाया जायेगा।	जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/नोडल/प्रभारी अधिकारी प्रदेश के बाहर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा।
नियम–9(ii)उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 जून तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 जून के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यकमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा।	**नियम–9(ii)**उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 15 जुलाई तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 15 जुलाई के पश्चात् मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यकमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 15 जुलाई के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक का होगा।
(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान–रिफण्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। संस्थानों एवं पाठ्यकमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।	**(iii)** मास्टर डाटाबेस में प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान–रिफण्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। संस्थानों एवं पाठ्यकमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे।मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।
नियम–11नोट–(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता कम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग–अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी जनपदों को धनावंटन हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।	**नियम–11नोट–(3)** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता कम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग–अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार)के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

नियम–15(iii) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।	**नियम–15(iii)** छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनो सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।
नियम–16(iii)–11 छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन लाक हो जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।	**नियम–16(iii)–11** छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदननिर्धारित तिथि तक वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा लाक किया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा डाटा लाक किये जाने के उपरांत किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेड़–छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
नियम–16(vii)प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार कार्ड या इनरोलमेंट नम्बर अंकित करना होगा तथा अपने अभिलेखों को डिजीटल लाकर में रखना होगा। इसके लिये आवेदन करने वाले समस्त छात्रों को अपने समस्त अभिलेखों को स्कैन कराकर निर्धारित प्रक्रियानुसार डिजीटल लाकर में रखा जायेगा जिससे स्कूटनी में उनके आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का मिलान किया जा सके।	**नियम–16(vii)**प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार कार्ड नम्बर (वैकल्पिक) अंकित करना होगा तथा अपने अभिलेखों को डिजीटल लाकर में रखना होगा। इसके लिये आवेदन करने वाले समस्त छात्रों को अपने समस्त अभिलेखों को स्कैन कराकर निर्धारितप्रक्रियानुसार डिजीटल लाकर में रखा जायेगा जिससे स्कूटनी में उनके आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का मिलान किया जा सके।
नियम–16-(x)बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।	**नियम–16(x).** बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में वित्त नियंत्रक/सम्परीक्षाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय द्वारा पूर्ण किया जायेगा।
	नियम–19 अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों मे अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:– (i):– (1)–प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रकिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी। (2)– छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही–सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट "घ" के अनुसार समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "छ" के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी। (3)– छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

	अग्रसारित किया जायेगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुये परिशिष्ट "ज" के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा। (4)–शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा एन.आई.सी. (स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा–यू.पी.टी.यू.,ए.आई.सी.टी.ई.,यू.जी.सी. ,एन.सी.टी.ई.,एम.सी.आई.विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में क्रिस कर डुप्लीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण कराकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा पृथक–पृथक, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा। 5– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरणको जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी। 6–जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजीटल सिगनेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। 7–जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी। 8–जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 9–तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई–पेमेण्ट (e-payment) **के तहत** PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। 10– छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा। 11– अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रकिया, वरीयता कम निर्धारण, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रकिया, फेल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रकिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रकिया के अनुसार ही रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

नियम–20 विशेष प्रकरणों विचार करने हेतु समिति का गठन स्वीकृति	**नियम–20** मा0उच्चतम/उच्च न्यायालय/मा0 राज्यपाल/मा0मुख्यमंत्री/मा0मंत्रीसमाज कल्याण/मुख्य सचिव/मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऐसे प्रकरणों पर शासन स्तर पर विचार हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है :– 1– प्रमुख सचिव समाज कल्याण– अध्यक्ष। 2– प्रमुख सचिव वित्त अथवा नामित प्रतिनिधि–सदस्य। 3– निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0– सदस्य। 4–निदेशक द्वारा नामित अधिकारी– सदस्य/सचिव। 5–छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल (मुख्यालय)– सदस्य। नियमावली में अंकित प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले छात्रों के प्रकरण पर उक्त समिति विचार करेगी एवं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में सकारण लिखित आदेश पारित करेगी। धनराशि भुगतान किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के उपरांत मा0 मंत्रीजी के अनुमोदनोपरांत शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के बजट से धनराशि व्यय की अनुमति प्रदान की जायेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।
	नियम–21–नोट–1 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल द्वारा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों को विहित वरीयता श्रेणी नियम–11 के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता लम्बित रहती है तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष अग्रेनीत नहीं की जायेगी। नोट–2:–वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये पुनर्विनियोग के माध्यम से अथवा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधन के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से अतिरिक्त प्राविधान कराया जा सकता है।

2– उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012(यथा संशोधन)–2016 के शेष प्राविधान पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0 [illegible]/2017/आर–1615(1)/26–3–2017–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव,वित्त/नियोजन/न्याय/मा0शिक्षा/प्राविधिक/व्यवसायिक/चिकित्सा कृषि शिक्षा विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास उ0प्र0लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई–मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
5– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7– कुल सचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 उ0प्र0।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
10– गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।